



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद

दिनांक 23.05.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 247/2024 धारा 323/379/504/506 भादवि में 03 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 22.05.2024 को वादी श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री रामपाल निवासी ग्राम वीरुवाला थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. प्रदीप पुत्र पप्पू 2. कोमल पुत्र कलवा निवासीगण ग्राम समीपुर अड्डा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर व 3. शिवम पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम जुल्फपुकारपुर गढी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा वादी का मोबाइल फोन व 2000/- रुपये चोरी किये गये तथा



वापस मांगने पर वादी के साथ गाली-गलौच कर मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी गयी । तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 247/2024 धारा 323/379/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व चोरी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी व चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.05.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्तों 1. प्रदीप पुत्र पप्पू 2. कोमल पुत्र कलवा निवासीगण ग्राम समीपुर अड्डा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर व 3. शिवम पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम जुल्फपुकारपुर गढी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को चोरी गये एक मोबाइल (ओपो कम्पनी) व 800/- रुपये नकदी सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. प्रदीप पुत्र पप्पू निवासी ग्राम समीपुर अड्डा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. कोमल पुत्र कलवा निवासी ग्राम समीपुर अड्डा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3. शिवम पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम जुल्फपुकारपुर गढी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी-

एक मोबाइल (ओपो कम्पनी) व 800/- रुपये नकदी ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त कोमल उपरोक्त-

मु0अ0सं0 428/2023 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 मौ0 कय्यूम अली थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3. का0 2043 रोहित चौधरी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना मंडावली

दिनांक:- 23.05.2024

“ऑपरेशन स्माईल” अभियान के क्रम में थाना मंडावली पुलिस द्वारा गुमशुदा नाबालिग बच्चों को मात्र 03 घण्टे के अन्दर सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 22.05.2024 को पुलिस कन्ट्रोल रूम द्वारा थाना मंडावली पर सूचना दी एक नाबालिग बच्चा (उम्र करीब 05 वर्ष) घर का सामान लेने के लिये निकला था जो घर नहीं पहुंचा तथा परिजनों के द्वारा काफी तलाश के उपरान्त भी कोई पता नहीं चल पाया है । सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए नाबालिग बच्चों की सकुशल बरामदगी हेतु थाना क्षेत्र में टीमों रवाना की गई ।



कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपहृत/गुमशुदा व्यक्तियों/बच्चों की सकुशल बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन स्माईल” के क्रम में थाना मंडावली पर गठित पुलिस टीम द्वारा मात्र 03 घण्टे के अन्दर गुमशुदा नाबालिग बच्चे को थाना मंडावली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामदासवाली से सकुशल बरामद किया गया तथा नियमानुसार उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया ।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री अनिल कुमार राणा थाना मंडावली जनपद बिजनौर
2. का0 1275 अंकित कुमार थाना मंडावली जनपद बिजनौर



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 23.05.2024

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस मॉनिटरिंग सैल एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 1,80,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि दिनांक 17.12.2019 को दिल्ली पुलिस अभियुक्तगण 1.शाहनवाज पुत्र अलीमुद्दीन व 2.जब्बार पुत्र अब्दुल सत्तार निवासीगण कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को अपनी अभिरक्षा में लेकर मा० न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद बिजनौर में पेशी हेतु लायी थी कि अभियुक्तगण 1.सुमित पुत्र जयपाल निवासी ग्राम लिलोनखेडी थाना कोतवाली शहर जनपद शामली 2.साहिल पुत्र अहसान निवासी मौ० पठानपुरा कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर 3.अकराज पुत्र अकरम निवासी मौ० रादगान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने मिलकर पेशी हेतु लाये गये अभियुक्त शाहनवाज की न्यायालय परिसर में ही गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि शाहनवाज के साथ पेशी हेतु आया अभियुक्त जब्बार जान बचाकर मौके से भाग गया था ।

घटना के तत्समय मौके पर मा० न्यायालय में कार्यरत पुलिसकर्मियों द्वारा अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देते हुए घटना कारित करने वाले तीनों अभियुक्तगण 1.सुमित 2.साहिल व 3.अकराज को मौके से ही गिरफ्तार किया गया था । अभियुक्तों की गिरफ्तारी के दौरान कोर्ट मोहररिं आरक्षी मनीष कुमार भी गोली लगने से घायल हो गया था । घटना में संलिप्त तीनों अभियुक्तगण व फरार अभियुक्त जब्बार के विरुद्ध थाना कोतवाली शहर पर मु०अ०सं० 1124/19 धारा 302/307/224/34 भादवि पंजीकृत किया गया था । अभियुक्त सुमित से बरामद अवैध असलाहों के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर मु०अ०सं० 1127/19 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था । विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विकशन” के अन्तर्गत मा० न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित किया गया था । पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा उक्त अभियोग की मा० न्यायालय में पैरवी की लगातार समीक्षा की जा रही थी ।

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 23.05.2024 को मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, जनपद बिजनौर द्वारा धारा 302/307/34 भादवि व धारा 25 आयुध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त सुमित पुत्र जयपाल निवासी ग्राम लिलोनखेडी थाना कोतवाली शहर जनपद शामली को आजीवन कारावास व 1,80,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की कुल धनराशि में से अस्सी हजार रुपये मृतक के वारिसान तथा साठ हजार रुपये घटना में घायल आरक्षी मनीष कुमार को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश किया गया ।

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा अभियोग के विवेचक एवं कोर्ट पैरोकार को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा ।

प्रकाशित खबरें ।

અમર ઉજાલા

सीजेएम कोर्ट में शाहनवाज की हत्या के बाद मौके पर पहुंचे एसपी। संवाद

थैले में पिस्टल लाई महिला, शूटरों ने बरसाई गोलियां

हत्या के लिए शूटरों को दी गई थी गोली चलाने की ट्रेनिंग

संवाद न्यूज एजेंसी

बिजनौर। हाजी अहसान को दूसरी पत्नी का बेटा साहिल अपने साथियों के साथ वारदात को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ आया था। एक महिला पिस्टल को थैले में छिपाकर लाई थी। सीजेएम कोर्ट से पहले ही पिस्टल तीनों हत्याओं को दी गई। महिला हत्या के दौरान सीजेएम कोर्ट के बाहर मौजूद थी। अन्य शूटर भी कोर्ट के आसपास मौजूद थे ताकि शाहनवाज व जम्बर के भागने पर वह उन्हें भूत सकें। तीनों हत्यारोपी आराम से सीजेएम कोर्ट के अंदर मौजूद थे। किसी को उन पर कोई शक नहीं था। शाहनवाज व जम्बर भी उन्हें नहीं पहचानते थे।

शाहनवाज व जम्बर की हत्या का तान बाना 28 मई को हाजी अहसान व खदाब को हत्या के बाद से ही बुनना शुरू हो गया था। हाजी अहसान को हत्या के बाद शाहनवाज गैंग के निशाने पर किसानों के चरमपंथ अन्दोलन मन्ना व उसकी बहन रिजवाना थी। रिजवाना नजीबाबाद निवासी हाजी अहसान की दूसरी पत्नी है। रिजवाना बिजनौर के शील्डिंग कॉलोनी में रहती है। जबकि अहसान को पहली पत्नी नजीबाबाद में रहती है। हत्या के लिए रिजवाना के बेटे साहिल को तैयार किया गया।

सूत्रों के मुताबिक काफी दिनों से



बिजनौर में सीजेएम कोर्ट में शाहनवाज की हत्या के बाद कोर्ट के बाहर जमा भीड़ और पुलिस। संवाद

तीनों हत्यारोपियों को गोली चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। उन्हें गोली चलाने में पूरी तरह प्रशिक्षण दिया गया। मंगलवार सुबह तीनों ही कोर्ट पहुंच गए। ये तीनों बिना किसी हथियार के कोर्ट परिसर में पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक एक महिला थैले में छिपाकर पिस्टल लेकर कोर्ट पहुंची। महिला पर किसी को शक भी नहीं हुआ। महिला ने सीजेएम कोर्ट से पहले साहिल, अफराज व सुमित को पिस्टल सौंप दिए। तीनों पिस्टल लेकर सीजेएम कोर्ट में पहुंच गए। चुराचाप ये कोर्ट में खड़े रहे।

हत्या के दौरान कोर्ट के बाहर मौजूद थी महिला

शाहनवाज व जम्बर को तीनों को पहले ही पहचान करा दी गई थी। सीजेएम कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी। कोर्ट के अंदर बढ़ी तादाद में अधिकारियों के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। तीनों ने कोर्ट के अंदर ही शाहनवाज व जम्बर पर गोलियां बरसाना शुरू कर दीं। शाहनवाज को कोर्ट में ही ढेर कर दिया। जम्बर वहां से जान बचाकर भाग निकला।

शाहनवाज को पीठ में गोलीयां मारी गईं। उसे 11 गोली लगी है। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट में ताबड़तोड़ गोली चलने के दौरान पिस्टल लाने वाली महिला भी कोर्ट के बाहर मौजूद थी। वारदात को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। शाहनवाज और जम्बर यदि कोर्ट से बचकर भागते भी, तो बाहर मौजूद शूटर उनको ढेर कर देते। मामले में पैरोकार विकास को तरफ से साहिल, अफराज और सुमित के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

शाहनवाज हात्याकांड

भगदड़ में जम्बर को भूली पुलिस और वह भाग गया



जजी से फरार बदमाश जम्बर

हत्यारोपियों को पकड़ने में लग गए थे। इस बीच पुलिस को जम्बर का खाल नहीं पड़ा, जो शाहनवाज के साथ ही दिल्ली विहाइल जेल से पेशी के लिए बिजनौर लया गया था। भगदड़ के दौरान जम्बर को भी पुलिस कस्टडी से फरार होने का मौका मिल गया और जब तक पुलिसकर्मी इस बारे में खोजें पाते, तब तक जम्बर फरार हो गया था।

वारदात के बाद बंद कराया कोर्ट रूम

सीजेएम कोर्ट में हुई ससनौखेज वारदात के बाद जब अतिरिक्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, तब तक हत्यारोपियों को कोर्ट पकड़ लिया गया था। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया। दृष्टिगतता व अन्य जितने लोग कोर्ट परिसर में मौजूद थे, उनको भी बाहर निकाल दिया गया।

बोला साहिल, पिता की हत्या का ले लिया बदला

संवाद न्यूज एजेंसी

बिजनौर। कोर्ट परिसर में शाहनवाज की हत्या के बाद दबोचे गए साहिल ने पुलिस को बताया कि अपने पिता हाजी अहसान की हत्या का बदला लेने के लिए उसने साथियों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया।

साहिल ने पुलिस को बताया कि उसके पिता हाजी अहसान की हत्या के बाद से ही वह बदले की आग में सुलग रहा था। उसने तभी से ठान लिया था कि पिता की हत्या का बदला जरूर लेना है। इसके लिए मौके का इंतजार कर रहा था। साहिल ने पुलिस को यह भी बताया कि उसके साथ पकड़ा गया सुमित व अफराज उसके दोस्त हैं। उन दोस्तों के साथ ही उन्होंने शाहनवाज की हत्या की है। तीनों लोगों ने मदद की, इस बारे में साहिल ने कुछ नहीं बताया। साहिल के अलावा पुलिस ने सुमित व अफराज से भी अलग से पूछताछ की।

हाजी अहसान की दूसरी पत्नी रिजवाना का बेटा है साहिल

शाहनवाज को कोर्ट परिसर में मारने के बाद पुलिस से बोला आरोपी साहिल

तीनों एक दूसरे को अपना दोस्त बता रहे हैं। पुलिस तीनों से गहराई से पूछताछ करने में जुटी है। पुलिस तीनों से यह भी पता लगाने में जुटी है कि कोर्ट परिसर में उनके पास पिस्टल कहाँ से आए और कौन लेता उनके साथ थे। कब से वे हत्या की योजना बना रहे थे। सूत्रों के मुताबिक तीनों अभी हत्याकांड के बारे में खुलकर कुछ नहीं बता रहे हैं। तीनों को हत्या के बारे में पहले से ही पक्का कर दिया गया है कि वारदात को अंजाम देने में किन लोगो ने मदद की, इस बारे में साहिल ने कुछ नहीं बताया। अलग से कुछ नहीं बता रहे हैं। साहिल ने कुछ नहीं बताया है कि उसने अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया।

मां-बाप आए थे शाहनवाज से मिलने बिजनौर। शाहनवाज की मंगलवार को पेशी के दौरान शाहनवाज के पिता अलीमुद्दीन व मां भी जजी परिसर में शाहनवाज से मिलने आए थे। ये दोनों भी कोर्ट के बाहर थे कि अचानक कोर्ट के अंदर गोली चली और बाद में इनको पता चल कि शाहनवाज की हत्या कर दी गई है। शाहनवाज के शव के साथ ये दोनों भी जिला अस्पताल पहुंच गए।

योगी राज में नहीं ईसाफ की आस :

पीएल पुनिया

बिजनौर। कोर्ट में पेशी पर आए शाहनवाज की हत्या का मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। काँग्रेस ने इसे लेकर प्रेस पर सवाल पूछे। निरुद्धा खन्ना शुरू कर दिया है। काँग्रेस से राजनरेश साहू व राष्ट्रीय प्रवक्ता पीरुज पुनिया ने कोर्ट परिसर में सत्या होने को योगी आदित्यनाथ की सरकार की अफिरता बताया है। केन्द्र पर लिख बयान में पीएल पुनिया ने कहा कि वेसे तो हत्या दो अपराधियों के बीच हुई है, लेकिन खुलेआम न्यायपरम में हत्या खोले सरकार की निरफलात को बताती है। पीडित के परिवार के लोगों को कानून व्यवस्था पर इनकी भी भरोसा नहीं था कि आरोपियों को सजा मिलेगी। कहा कि सरकार कानून का राज लाने के जिस एजेंडे पर आई थी वह केस हो गया है। प्रेस को अपराधमूलक बनने, अपराधियों के पलवान करने के बखे योगी आदित्यनाथ के खुद के है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अब न्यायलय भी अपराधियों से सुरक्षित नहीं है।



बिजनौर में जजी में आरोपियों के जाने के बाद एकत्र अधिकारिता। संवाद



सीजेएम कोर्ट में शाहनवाज की हत्या के बाद कोर्ट के बाहर जमा भीड़ और पुलिस। संवाद



बिजनौर में जजी में विलाप करती भूतक शाहनवाज की मां। संवाद



बिजनौर में सीजेएम कोर्ट में शाहनवाज की हत्या के बाद कोर्ट के बाहर जमा भीड़ और पुलिस। संवाद



शाहनवाज की हत्या के बाद सीजेएम कोर्ट के बाहर तैनात पुलिस। संवाद

डॉन बनने की चाहत में शुरू हुई 'खूनी जंग'

नजीबाबाद की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता था शाहनवाज, हाजी अहसान बनता था बाधक और खुद का बढ़ा रहा था रसूख

संवाद न्यूज़ एजेंसी

बिजनौर। हाजी अहसान और शाहनवाज के बीच खूनी जंग का सिलसिला नजीबाबाद का डॉन बनने की चाहत में शुरू हुआ। नजीबाबाद की प्रॉपर्टी व अन्य कार्यों में अहसान का दखल चलता था। शाहनवाज ने अपना राव कायम करने के लिए ही अहसान की अपने शूटरों से हत्या कराई थी। हत्या के पीछे कौन कौन बड़े लोग थे इसका खुलासा नहीं हो पाया है। यह राज शाहनवाज ने भी पुलिस के आगे नहीं खोला था। लेकिन खूनी खेल में दोनों की ही जान चली गई। पहले अहसान की हत्या हुई और अब शाहनवाज की।

हाजी शाहनवाज नजीबाबाद के अल्ताफ़ दिल्ली में भी प्रॉपर्टी का कारोबार करता था। नजीबाबाद में दस साल पहले खूनी हत्याकांड से प्रॉपर्टी को लेकर इस खूनी खेल की शुरुआत हुई थी। उसके बाद हत्याओं का सिलसिला चलता रहा। हाजी अहसान ने अपने शूटर अजमल पहाड़ी से शायदर शम्शद की हत्या करा दी। शूटिंग के मुआफिक अजमल पहाड़ी ने दिल्ली में भी अहसान के कहने से कई हत्याओं की अंजाम दिया। बाद में दोनों के रिश्ते बिगड़ते गए और अहसान व अजमल पहाड़ी ने भी दुश्मनी शुरू हो गई थी। अजमल गाँवबाबाद की जेल में बंद था। दो महीने पहले ही वह जेल से बाहर आया है।

शूटिंग के मुआफिक शाहनवाज ने राशन डीलर इमरान की जख्म व दाहिना दोनों शूटरों से हत्या कराई।

शाहनवाज ने कहाई थी अहसान व शादीबाद की हत्या, अब खुद मारा गया

पुलिस के मुताबिक मुहम्मद अंसारी से थे शाहनवाज के संबंध

पहले हमले में इमरान बच गया था। इसके बाद कई और घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक शाहनवाज मुहम्मद अंसारी के सरकारी मुहम्मद अंसारी से संबंध में। अहसान और शाहनवाज के बीच शुरुआत में पांच लाख रुपये की लेकर विवाद हुआ था। शाहनवाज ने अहसान से पांच लाख रुपये मांगे, तो अहसान ने अनाकरी की। तब शाहनवाज ने उसे ठिकाने लगाने की भमरी दी। शूटिंग के मुआफिक बाद में मुहम्मद अंसारी के कहने पर अहसान ने शाहनवाज को पांच लाख रुपये दिए थे। हाजी अहसान ज्यादातर दिल्ली में रहता था। पिछले कई सालों से नजीबाबाद में अहसान रहता था। तभी से शाहनवाज ने अहसान को ठिकाने लगाने की योजना बना ली थी। शाहनवाज की लगा कि अहसान की हत्या के बाद नजीबाबाद की सभी प्रॉपर्टी उसके कब्जे में होगी। लोगों से वह आसानी से रकबा भी ले सकता है। इसलिए उसने शूटर जख्म व दाहिना से अहसान व उसके भोजे शादीबाद की हत्या कराई थी।

शाहनवाज हत्याकांड से संबंधित खबरें पत्र पत्र पर भी -



हत्यापीछियों को ले जा रही कार के साथ सुरक्षा के लिए भागते पुलिसकर्मी। संवाद



अमर उजाला के 29 मई 2019 के अंक में प्रकाशित समाचार। संवाद

'मैं नहीं मरवाता, तो मेरी हत्या हो जाती'

पिछले दिनों पुलिस रिमांड के दौरान शाहनवाज ने इस बात का खुलासा किया था कि अहसान उसकी हत्या करना चाहता था, इसलिए उसने अहसान की हत्या कराई है। अगर वह अहसान की हत्या न करता तो अहसान उसकी हत्या करा देता। पुलिस ने शाहनवाज को खूब खतरा पर एक बार नहीं खोल पाया कि अहसान की हत्या के पीछे कौन बड़े लोग हैं। शूटिंग के मुआफिक शाहनवाज गैंग के निशाने पर किलालूर के सेयरमैन अदुल मनान व उनकी बहन रिजवाना भी थी। अब इनकी हत्या का तावा बना शाहनवाज बुन रहा था। पुलिस भी इसे लेकर चौकस हो गई थी।

शाहनवाज को मारी 11 गोलीयां



हत्यापीछियों ने शाहनवाज पर तब तक गोलीयां बरसाईं, जब तक शाहनवाज के शरीर से जान नहीं निकल गई। तीनों बदमाशों के पास पिस्टल थीं। गोलीयां लगते ही शाहनवाज फिर गिरा था, लेकिन उसके बाद भी बदमाशों ने शाहनवाज पर गोलीयां बरसाईं बंद नहीं की। पुलिस ने शाहनवाज का राव फोरमर्टमिंग के लिए भिजवाया। पता चला है कि शाहनवाज की 11 गोलीयां लगीं। हत्यापीछियों ने शाहनवाज और जख्म पर हत्या करने के लिए 30 बॉर के पिस्टलों का इस्तेमाल किया। तीनों ही आरोपियों के पास इसी बॉर के पिस्टल बरामद हुए। शाहनवाज की मारने में आरोपी कामयाब हो गए, लेकिन जख्म कोर्ट परिसर से भाग गया था।



हत्यापीछियों को कोर्ट से पकड़कर बाहर लाने सैबीओ। संवाद



गोली लगने से घायल सिपाही मरीब।

दैनिक जागरण

पूरी प्लानिंग के साथ दिया शाहनवाज हत्याकांड को अंजाम

जजी में दिल्ली पुलिस की गाड़ी के इर्द-गिर्द घूम रहे थे शूटर, अंदेशा होने पर दिल्ली पुलिस ने हटाया था उन्हें, चौकी पुलिस पर बैठी जांच



जागरण संवाददाता, बिजनौर : शाहनवाज की हत्या के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। दिल्ली में शाहनवाज के खंडर करने के बाद ही प्लानिंग ने हत्या की प्लानिंग कर ली थी। पहले उनका हाथ कोर्ट परिसर में मारी में हत्या करने का था। दिल्ली पुलिस ने शक होने पर सख्त दिख के डेन लोग की गाड़ी के पास से हटा दिया था। मामले की गहरी जांच के बाद चौकी पुलिस के खिलाफ पांच बेटे हो गई हैं। जांच के बाद कड़ी कोर्टों से सख्त की है।

शाहनवाज अंसारी व जख्म ने अहसान में सेंटिंग से दिल्ली में सेंटिंग कर दिया था जमीन उनके एकाउंटेंट का घर सता रहा था। जख्म के मुताबिक मुहम्मद अहसान इलाहाबाद से लौट कर जमीन परिसर में आ गए थे। पुलिस को इसकी भूक नहीं लगी। तीनों हमलावर पिस्टल से लौट कर चुकी रहे। करीब 11:30 बजे दिल्ली पुलिस को गाड़ी शाहनवाज व जख्म को लेकर जमीन परिसर में आ गई थी। तीनों हमलावर गाड़ी के आसपास घूम रहे थे। दिल्ली पुलिस को शक होने पर उन्हें

माँ-बाप के सामने ही उतार मोत के घाट

कोर्ट में जिस वक़्त शाहनवाज की हत्या हुई, उस समय उसके माता-पिता भी उसी कोर्ट में मिलने आए थे। दोनों कोर्ट के बाहर खड़े थे। उन्होंने अंतर जाने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने अंतर नहीं जाने दिया। शाहनवाज के परिवार उनको बाहर ले गए। शाहनवाज की माँ रोते हुए जमीन परिसर से निकल गई। उसका कहना है कि पुलिस की तलाशवाही से उसके बेटे की हत्या की गई।

बाद से हटा दिया गया। इनका ही नतीजा बिजनौर पुलिस में शक्ति अंतरापी के पेशी पर अने पर सख्त की हुई। कोर्ट ऑरिजिन मुहम्मद जख्म वही की गई।

जख्म को गोली लगने की आशंका : जख्मवालों का कहना है कि बादात के बाद एक बदमाश फरार हो गया। कुछ दूर तक खूब के छुट्टे भी मिले हैं। वह जख्म के हो सकते हैं। अनुमान है कि जमीन के बाहर जख्म के खूबो लगे हुए हैं। पुलिस के एक बड़े अधिकारी के अनुसार इस खूबखबर के पीछे जख्म भी हो सकता है। घटनाक्रम मजबूत है यह है कि बदमाशों का तारोत शाहनवाज की था, जमीन जख्म को निशाना नहीं बनाया। पुलिस को शक है कि कई और लोग इस हत्याकांड में शामिल हो सकते हैं।



बिजनौर के जमीन परिसर में मालावर की हुए हत्याकांड के बाद जित जज से मिलेवर बाहर आते अखिला। संवाद

कोर्ट के अंदर हत्या से बकीली में अखिलेश

संवाद सहयोगी, बिजनौर : सौजन्य कोर्ट में हत्या की कारवाय से अखिलेशा में रोज़ बादात है जितल वर एरॉसिलान बिजनौर में कुलपत अखिलेशा की ऐसी खोजी कारोबार के कलम से कराने की मांग किया जज से की है। घटना के बाद अखिलेशा केट में खूबखबर से निगल दिया गया कि घटना के विरुद्ध में अखिलेशा कुलपत 16 दिनांक को खूबिक कोर्ट में रिजल देते हैं। अखिलेशा को जमीन परिसर विवाद का होत में जितल वर एरॉसिलान बिजनौर के अखिलेशा कुलपत बकली की अखिलेशा वर मासिलियन खूबिक कुलपत बिजनौर के संवतन में बकली हुई।

अखिलेशा में क्या कि इस प्रकार की सैरिज भेजाओं से अखिलेशा, अखिलेशा, न्यायिक अखिलेशा और कमजोरी की घटना का खूबखबर निगल लेता गया है।

कोर्ट में जितल वर जज की अखिलेशा से सख्त की कि बिजनौर में कुलपत अखिलेशा की कोर्ट में ऐसी खोजी कारोबार के माध्यम से कलम जार।

बदमाश पिस्टल लेकर घूमते रहे, पुलिस ने टोका तक नहीं

जागरण संवाददाता, बिजनौर : जमीन परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर संतोष करने का खूब खबर खड़ा हो गया। घटनास्थल से कोर्ट कोर्ट की दूरी पर पुलिस चौकी है। इसके बावजूद वहां सख्त पुलिसकर्मियों की गोलीयां की तलाशवाही सुनाई नहीं दी। जमीन परिसर की सुरक्षा में एक सख्त इन्फेक्टर और 11 सिपाहियों को छह घंटों पर बैठाया रहती है। उन्होंने जमीन परिसर में अखिलेशा करने वाले खोजी को टोका, तब तक मुआफिक नहीं दिया। इनकी बड़ी कारवाय हुए और पेशी पर अखिलेशा एक बदमाश फरार हो गया।

बेखोफ

एक दावेदा व 11 सिपाहियों की छह घंटों पर बैठी हुई। जमीन परिसर में चौकी से बंद बदमाश दूर से खोजी कोर्ट

तीनों हमलावर मालावर सुख हो जमीन परिसर पर थे। वे हाथीवर लेकर घंटों तक जमीन परिसर में घूमते रहे, लेकिन किसी सुरक्षाकर्मी ने उन्हें नहीं टोका। न कहीं उनकी चेकिंग हुई। दिल्ली पुलिस की गाड़ी के पास जाने पर जख्म उन्हें पुलिसकर्मियों ने खंड से हटाया था। कोर्ट कोर्ट मोहरी

मयोर और दिल्ली पुलिस के जवान ने दिलेरी में दिखई सोते, तो कौनों बदमाश फरारि करतें हुए फरार हो जाते। गोली लगने के खूबखबर के पीछे पुलिसकर्मियों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने न्यायिक कोर्ट परिसर कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों को मदद से इन तीनों को पकड़ लिया। जमीन ने फरार करने वाले अखिलेशाओं के अनुसार वह कई बार जमीन परिसर में खूबखबर सुनाई करने की मांग कर चुके हैं। यदि जमीन में निशानि रूप से मेरल डिटेक्टर लक्ष्मर चेकिंग की जाती, तो शायद बदमाश हाथीवर लेकर जमीन परिसर में घूम नहीं पाते।

अपराधियों के लिए अलग से सुरक्षा हो

संवाद सहयोगी, बिजनौर : अखिलेशा बिजनौर के जज घटना पर सख्त प्रकट करते हुए बताया कि हत्या जैसे गंभीर अपराध में आरोपितों की ऐसी के दौरान सुरक्षा के पुख्त इंतजाम किए जाने चाहिए।

संभव हो तो ऐसे अपराधियों की ऐसी खोजी कारोबार के द्वारा की जानी चाहिए। ऐसी खोजी कारोबार के



बिजनौर के जमीन परिसर में मालावर की हुए हत्याकांड के बाद जित जज से मिलेवर बाहर आते अखिला। संवाद

भरी अदालत में हत्यारोपित की गोलियां बरसाकर हत्या

कोर्ट मोहर्रिर और दिल्ली पुलिस का एक सिपाही भी गोली लगने से घायल

जागरण संवाददाता, बिजनौर : अति सुरक्षित सीजेएम कोर्ट में तीन हमलावरों ने मंगलवार दोपहर हत्यारोपित शाहनवाज को गोलियों से भून डाला। इस दौरान कोर्ट मोहर्रिर और दिल्ली पुलिस का एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हो गए। भरी अदालत में इस दुस्साहसिक कार्रवाई को बसपा नेता हाजी एहसान के बेटे साहिल ने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अंजाम दिया। तीनों हमलावरों को कोर्ट में ही पकड़ लिया गया। शाहनवाज के साथ तिहाड़ जेल से पेशी पर लाया गया उसका साथी जख्जर इस खुनखुनार के बीच कोर्ट से फरार हो गया। देर रात तीनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

बसपा के विधानसभा क्षेत्र प्रभारी व प्रॉपर्टी डीलर हाजी मोहम्मद एहसान और उनके भांजे शादाब की 28 मई को नजीबाबाद स्थित उनके कार्यालय में दिनदहाड़े गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड का आरोप कनकपुर निवासी शांति अपराधी शाहनवाज अंसारी, जख्जर, दानिश पुत्र इफ्फान व उब्बनवाल निवासी दानिश पर लगा था। शाहनवाज और जख्जर की मंगलवार को इस हत्याकांड में कोर्ट में पेशी थी। दिल्ली पुलिस के एसआइ हेताराम सिंह पांच सिपाहियों के साथ तिहाड़ जेल से शाहनवाज और जख्जर को पेशी पर बिजनौर लाए थे। पुलिस ने दोपहर करीब पौने दो बजे दोनों बदमाशों को जज के सामने पेश किया। सीजेएम योगेश कुमार सुनवाई कर रहे थे। इसी बीच तीन हमलावर कोर्ट के अंदर घुसे और शाहनवाज पर फिस्टलों से गोलियां बरसा दीं। गोली लगने से शाहनवाज वहीं गिर गया लेकिन हमलावर गोलियां बरसाते रहे। इसी बीच कोर्ट मोहर्रिर मनीष और दिल्ली



सीजेएम कोर्ट से हत्यारोपित अकराज को ले जाते सीओ अरुण कुमार • जागरण

वारदात

- बसपा नेता एहसान के बेटे साहिल ने दो साथियों संग की वारदात, तीनों बंदी
- तिहाड़ जेल से पेशी पर लाया गया था मारा गया बदमाश शाहनवाज, उसका साथी जख्जर कोर्ट से फरार



शाहनवाज अंसारी • फाइल फोटो

पुलिस के जवान संजीव ने हमलावरों को पकड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने उनपर भी फायर शुरू दिया। दो गोली मनीष और एक गोली संजीव को लगी। भरी अदालत में इस जघन्य कृत्य के चलते कचहरी परिसर में सनसनी फैल गई। लोग इधर-उधर भागने लगे। हालांकि कोर्ट में मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों और स्टाफ ने हिम्मत दिखाते हुए तीनों हमलावरों को पकड़ लिया। जख्जर मौके से फरार हो गया।

पुलिसकर्मियों ने तीनों हमलावरों को सीजेएम कोर्ट में ही बंद कर दिया।

इस दौरान सैकड़ों वकीलों ने कोर्ट को घेरकर जमकर हंगामा किया। एसपी संजीव त्वाणी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों सिपाहियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने कोर्ट में ही हमलावरों साहिल निवासी शीलकुंज बिजनौर, उसके साथी सुमित निवासी गांव बिलौनी खेड़ा शामली व अकराज निवासी मोहल्ला राजवान थाना कितरपुर बिजनौर से पृष्ठताछ की। दो घंटे की मशकत के बाद हत्यारोपितों को कोर्ट से निकालकर थाने भेज दिया।

बसपा नेता और उनके भांजे की हत्या के आरोपित शाहनवाज व जख्जर तिहाड़ जेल से पेशी पर लाए गए थे। कोर्ट के अंदर बदमाशों ने शाहनवाज की गोली मारकर हत्या कर दी। तीनों बदमाशों को मिरकावर कर लिया गया है। हत्याकांड को बसपा नेता एहसान के बेटे ने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ अंजाम दिया है। पेशी पर आया एक बदमाश लापता है। उसकी तलाश की जा रही है।

संजीव त्वाणी, पुलिस अधीक्षक, बिजनौर

प्रदेश में भाजपा सरकार ने कानून राज को अपराधराज में तब्दील कर दिया है। अब अपराधी सीधे कोर्ट में घुसकर गोली मार रहे हैं और जज को अपनी जान बचाने पड़ रही है। फता नहीं जो लोग उतर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हर रोज अपराधमूक प्रदेश होने के तमने देते हैं इनकी आँखों में कौन सी धूल झोकी गई है।

प्रियंका गांधी वाड्वा, कांग्रेस महासचिव

जजी चौकी समेत 12 पुलिसकर्मियों सरपोंड

एसपी संजीव त्वाणी ने बताया कि लापरवाही खमने आने पर जजी चौकी प्रभारी समेत 12 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। क्या तैनात पोलीस की रिपोर्ट भी कमंडर को भेज दी गई है।

शाहनवाज के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया फ़ुल्हात शाहनवाज पर लट्ट, हत्या, रंगदारी समेत डेढ़ दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे। वह पूर्वांचल के पश्चिमी मुन्ताज़ अंसारी का खास दुर्गा था। साहिल कितरपुर रोयमैन अब्दुल मन्नान का भांजा भी है। हमलावरों के पास से तीन फिस्टल बरामद हुई हैं। गंभीर हालत में कोर्ट मोहर्रिर मनीष को मेरठ रेफर कर दिया गया है। **हत्याकांड** 33 पृष्ठ 4

सिपाहियों के साहस के आगे घुटने टेक गए हमलावर

जागरण संवाददाता, बिजनौर : कोर्ट के अंदर चार सिपाहियों की बहादुरी से हमलावर पकड़े गए। सभी साहस दिखाते हुए बदमाशों से भिड़ गए। मनीष ने घायल होने के बाद भी बदमाशों को नहीं छोड़ा। आखिरकार बदमाशों ने हथियार डाल दिए। चारों सिपाहियों के नाम मैलेट्री अवार्ड के लिए भेजे जाएंगे। जिस वक्त बदमाशों ने शाहनवाज पर गोलियां बरसाईं, कोर्ट मोहर्रिर मनीष, सीजेएम के गनर रवि, दिल्ली पुलिस के जवान संजीव व विकास मौजूद थे। चारों साहस दिखाते हुए बदमाशों से भिड़ गए। उन्होंने किसी को भागने का मौका नहीं दिया। इन्होंने हमलावरों को कोर्ट में बंद कर दिया और उनके हथियार छीन लिए। अगर बदमाश भागते तो बड़ी खराब हो सकती थी। सिपाहियों के साहस से सभी पकड़े गए। एसपी सिटी लक्ष्मी निवास मिश्र ने बताया कि चारों सिपाहियों के नाम मैलेट्री अवार्ड के लिए भेजे जाएंगे। मनीष की टोड़ी और पैर में लगी गोली कोर्ट मोहर्रिर मनीष के एक गोली



घायल कोर्ट मोहर्रिर मनीष • जागरण

टोड़ी व दूसरी पैर में लगी है। उसकी हालत गंभीर है। मनीष वागपत के छपरोली के नागल गांव का मूल निवासी है। उसे मेरठ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, दिल्ली पुलिस के जवान संजीव की छाती के पास गोली लगी है। बताया जा रहा कि संजीव को गोली दाँवर से टकराने के बाद लगी है। संजीव का बिजनौर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

गोलियों की तड़तड़ाहट से गुंजी जजी, मची भगदड़

जान बचाने के लिए वकील वेंच के नीचे छिप गए, 24 राउंड गोलियां चलने से परिसर में मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, बिजनौर : हत्या की सनसनीखेज वारदात से जजी परिसर में अफरा-तफरी मच गई। करीब 24 राउंड गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच वकीलों ने चैबर में घुसकर जान बचाई। पुलिस ने 15 खोखे बरामद किए हैं। कोर्ट के अंदर चौख-पुकार मच गई। काफी देर तक अफरा-तफरी मची रही। पुलिस ने शव उठाने और हमलावरों को निकालने के लिए डेढ़ घंटे मशकत की।



बिजनौर के जजी परिसर स्थित सीजेएम कोर्ट में हुई गोलीबारी के बाद बाहर जमा राइफर व पुलिस • जागरण

जान बचाई। शुरू में गोलियों की आवाज के अलावा कुछ और समझ नहीं आया। जैसे ही वकीलों को वारदात का पता चला तो उनमें अकड़ो फैल गया। सैकड़ों की संख्या में वकीलों ने कोर्ट को घेर लिया। इस दौरान हमलावरों को मारने की आवाजें उठने लगीं। इस पर पुलिस के हाथ-पांव फूल गए। पुलिस ने कोर्ट का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। डेढ़ घंटे बाद पुलिस ने शाव और हमलावरों को बाहर निकाला। वकीलों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उन्होंने मुख्य को

से बंद कर लिया। डेढ़ घंटे बाद पुलिस ने शाव और हमलावरों को बाहर निकाला। वकीलों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उन्होंने मुख्य को

मनीष की बहादुरी से पकड़े गए हमलावर

कोर्ट मोहर्रिर मनीष के साहस के कारण बदमाश पकड़े गए। गोली चलते ही उसने एक बदमाश को पकड़ लिया। इस पर बदमाशों ने मनीष के पैर में गोली मार दी। इसके बाद भी मनीष ने बदमाश को नहीं छोड़ा। इसके बाद पुलिस के और सिपाही भी मदद के लिए आ गए। उन्होंने तीनों को कोर्ट के अंदर ही घेर लिया। इसी बीच कोर्ट के बाहर मौजूद स्टाफ ने बाहर से गेट बंद कर दिया। मनीष हिम्मत नहीं दिखाता तो बदमाश नहीं पकड़े जाते।

लेकर सबाल खड़े किए।

कोर्ट में मौजूद थे 40 लोग : हत्याकांड के वक्त कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इसलिए वहां पर सीजेएम के अलावा पेशकार, स्टर्नो, अटॉली, कोर्ट मोहर्रिर, पैरकार, अधिवक्ता, वादी और मुल्जिन समेत 40 लोग मौजूद थे।

बिजनौर में बसपा नेता हाजी अहसान के बेटे ने साथियों संग की वारदात

गैंगवार : भरी अदालत में हिस्ट्रीशीटर को भून डाला

बिजनौर। हमारे संवाददाता

अदालत में मंगलवार को बसपा नेता हाजी अहसान हत्याकांड में दिल्ली से पेशी पर आए हिस्ट्रीशीटर शाहनवाज और उसके साथी पर तीन युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। इसमें हिस्ट्रीशीटर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी जख्म फरार हो गया। गोलीकांड में कोर्ट मोहर्रिर और दिल्ली पुलिस का सिपाही भी घायल हो गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को दबोच लिया, इनमें से एक बसपा नेता का बेटा है। भरी अदालत में वारदात से हड़कंप मच गया।

तिहाड़ जेल से पेशी पर लाई थी
पुलिस: नजीबाबाद में 28 मई को बसपा नेता व प्रापटी डीलर हाजी अहसान व उनके भांजे शादाब की हत्या गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी शाहनवाज अंसारी और जख्म को तिहाड़ जेल से दिल्ली पुलिस सीजेएम कोर्ट में पेशी पर लाई थी।
दो सिपाही घायल: वहां मौजूद कोर्ट



बिजनौर में मंगलवार को कोर्ट में हत्या के बाद कोर्ट के बाहर जमा अधिवक्ताओं की भीड़।

मोहर्रिर सिपाही मनीष कुमार व दिल्ली पुलिस के सिपाही संजीव ने आरोपियों को दबोचने की कोशिश की तो उन पर भी फायरिंग कर दी गई। दो गोली मनीष के मुंह व पैर में गोली लगीं, जबकि एक गोली सिपाही संजीव के सीने में लगीं। इसके ब्यवजूद दोनों ने कोर्ट में मौजूद एक पैरोकार सिपाही विकास,

सीजेएम के गनर रवि कुमार व दिल्ली पुलिस के एक अन्य सिपाही विकास की मदद से तीनों हमलावरों को दबोच लिया। एसपी के मुताबिक पकड़े गए हत्यारोपियों में हाजी अहसान का बेटा साहिल व उसके दो साथी शामिल हैं।

संबंधित खबरें पेज 4, 5 6

जख्म को भी लगी गोली

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर पाँचे दो बजे कोर्ट में कुछ बकील और अन्य लोग मौजूद थे। रिमांड पर सुनवाई के बाद शाहनवाज और जख्म को दिल्ली पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया गया था। कोर्ट रूम में पहले से मौजूद तीन युवकों ने पिस्टल निकालकर शाहनवाज व जख्म पर गोलियां बरसा दीं। शाहनवाज की मौके पर मौत हो गई, जबकि जख्म फरार हो गया, वह भी गोली लगने से घायल बताया जा रहा है।

पेशी पर आए शाहनवाज की गोलियां चलाकर तीन युवकों ने हत्या कर दी। हमलावरों में एक अहसान का बेटा साहिल शामिल है। पेशी पर आया जख्म दिल्ली पुलिस की लापरवाही से कस्टडी से फरार हो गया।
-संजीव त्यागी, एसपी, बिजनौर



बिजनौर में कोर्ट में सुरक्षा के लिए लगाया गया मेटल डिटेक्टर शी पीस बनकर रह गया। • हिन्दुस्तान

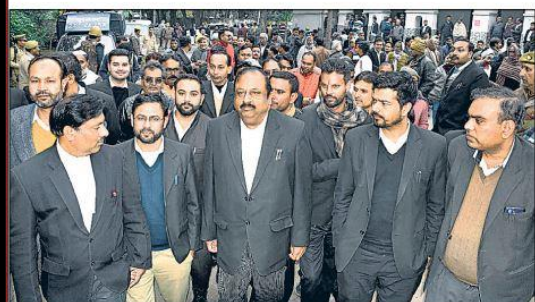


बिजनौर में मंगलवार को कोर्ट में बसपा नेता के हत्यारीपी शाहनवाज की हत्या के बाद कोर्ट के बाहर तैनात फौज।

बिजनौर में मंगलवार को कोर्ट में हत्या के बाद भीड़ को हटाते पुलिसकर्मियों।



दुस्साहस



बिजनौर में मंगलवार को कोर्ट में हत्या के बाद कोर्ट के बाहर खड़े जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी। • हिन्दुस्तान



कोर्ट परिसर के बाहर अफरातफरी का रहा माहौल।



बिजनौर में मंगलवार को कोर्टकम में हत्या के बाद परिसर में जमा भीड़। • हिन्दुस्तान



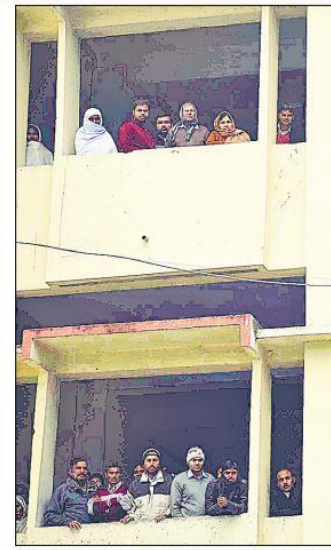
कचहरी में कत्ल

हिन्दुस्तान 04
• ग्रेट • बुधवार • 18 दिसंबर 2019



बिजनीर में मंगलवार को कोर्ट रूम में बसपा नेता के हत्यारेपी शाहनवाज की हत्या के बाद कोर्ट के बाहर जमा भीड़। •

दहशत



बिजनीर में मंगलवार को हत्या के बाद कोर्ट में अफरातफरी और सनसनी का माहौल बन गया, कोर्ट की छतों पर खड़े लोग।



बिजनीर में मंगलवार को कोर्ट में बसपा नेता के हत्यारेपी की हत्या के बाद भीड़ के पड़ने पर एसी निरीक्षण करते हुए। • हिन्दुस्तान

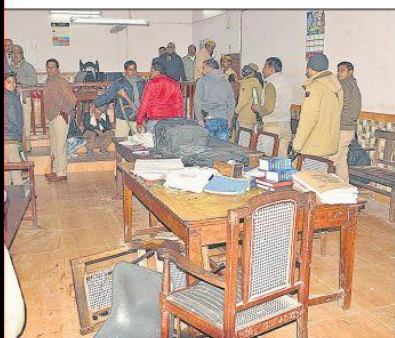


बिजनीर में मंगलवार को कोर्ट में पड़ा मृतक शाहनवाज का शव। • हिन्दुस्तान

बिजनीर में मंगलवार को कोर्ट रूम में शाहनवाज की हत्या के बाद शव को बाहर निकालते पुलिसकर्मी। • हिन्दुस्तान



बिजनीर में मंगलवार को कोर्ट में हत्या आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच निकाला गया।



बिजनीर में मंगलवार को कोर्ट में बसपा नेता के हत्यारेपी शाहनवाज की हत्या के बाद कोर्ट में बैठे आरोपी व तेनात पुलिसकर्मी। • हिन्दुस्तान

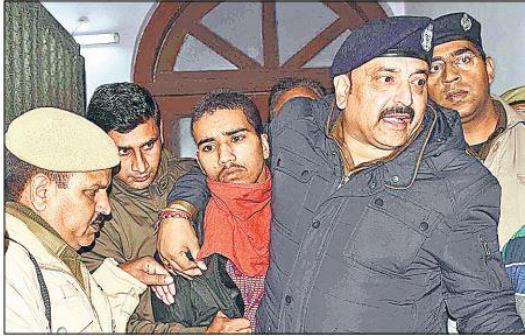
हड़कंप : 17 से 18 राउंड हुई फायरिंग, मच गई अफरातफरी, सीजेएम कोर्ट के बाहर लगा वकीलों का हुजूम, हर ओर दिखी दहशत

खौफ : गोलियों की तड़तड़ाहट से गूँज उठा जजी परिसर

बिजनौर | हमारे संवाददाता

अचानक चली तड़तड़ाहट गोलीयों की आवाज से मंगलवार दोपहर उस समय जजी परिसर गूँज उठा जब सीजेएम कोर्ट में हमलावरों ने पेशी पर आए शाहनवाज और जब्बार पर गोलीयाँ बरसाईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करीब 17 से 18 राउंड फायरिंग हुई। अफरातफरी मच गयी लोग इधर-उधर भागे। थोड़ी ही देर बाद सीजेएम कोर्ट के बाहर वकीलों के साथ ही लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। भारी पुलिस फोर्स भी जजी पहुंच गया।

जजी परिसर स्थित सभी न्यायालयों में मंगलवार दोपहर रोजाना की भांति कामकाज चल रहा था। कुछ वकील न्यायालयों में थे तो कुछ अपने चेंबरों में वादकारियों के साथ बैठे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक करीब पौने दो बजे सीजेएम कोर्ट से तड़तड़ाहट गोलीयाँ चलने की आवाज आने लगी। करीब 17 से 18 राउंड गोलीयाँ चलीं। इस दौरान सीजेएम कोर्ट से कुछ वकील और वादकारी भागकर बाहर आते दिखाई दिए। इसके बाद भीतर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कोर्ट रूम के दरवाजे भीतर से बंद कर लिए। अंदर क्या हुआ, इसे लेकर अफरातफरी मच गयी। मौत का मंत्र देखने के बाद बाहर निकलकर आए कुछ वकीलों ने बताया, कि भीतर पेशी पर आए शाहनवाज और जब्बार पर गोलीयाँ बरसाईं गयीं। अंदर कुछ और लोगों को भी गोलीयाँ लगीं हैं। इस पर कोर्ट परिसर में अफरातफरी



बिजनौर में मंगलवार को कोर्ट में हत्या के बाद आरोपी को पकड़ कर ले जाते पुलिसकर्मी।



बिजनौर में मंगलवार को कोर्ट में आरोपी को पकड़ कर ले जाते पुलिसकर्मी।

पिता की हत्या का इंतकाम लेने की साहिल ने खाई थी कसम

बिजनौर | हमारे संवाददाता

साहिल ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर पिता के हत्यारोपी शाहनवाज का कल कोर्ट रूम में गोलीयाँ बरसा कर दिया। वाददात की वजह पिता की हत्या का इंतकाम रहा।

एलानिया कल्ल

• 28 मई 2019 में बसपा नेता हाजी अहसान, भांजे की हत्या
• तभी अहसान के बेटे ने मौत के घाट उतारने की घोषणा की थी



साहिल मृतक अहसान का पुत्र।

मंगलवार को दोपहर बाद सीजेएम कोर्ट गोलीयाँ की तड़तड़ाहट से गूँज उठी। कुछ ही देर में साफ हो गया कि

दिल्ली विहाइ जेल से पेशी पर आया बसपा नेता हाजी अहसान का हत्या शाहनवाज अंसारी मारा गया है। मारने वाले तीनों शूटर भी कोर्ट रूम में ही दबोच लिए गए। मारने वालों में बसपा नेता हाजी अहसान का बेटा साहिल भी शामिल निकला। सुर्जों की मानें तो अपने पिता हाजी अहसान की हत्या होने के वक्त साहिल ने हत्यारों को मारने की कसम

खा ली थी। पुलिस के सामने भी साहिल ने पिता की मौत का बदला लेने की बात कही थी। खैर, उस वक्त लोगों ने महज कुछ दिनों का गुस्सा होने की बात समझ लिया। अब कोर्ट रूम में शाहनवाज मारा गया तो साहिल की उक्त कसम की लोग चर्चा कर रहे हैं। हत्या की फिराक में साहिल काफी दिनों से लगा हुआ था। ऐसी भी चर्चा चल रही है।

कब क्या हुआ

- 1:45** बजे सीजेएम कोर्ट में गूँजी गोलीयाँ की तड़तड़ाहट
- 1:46** बजे कोर्ट से भागकर बाहर आए भीतर मौजूद वकील व कई वादकारी, मची अफरातफरी
- 1:50** बजे भीतर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तीनों हमलावरों को पकड़ कोर्ट का दरवाजा भीतर से किया बंद
- 1:51** बजे जजी परिसर में तेनात पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे
- 2:00** बजे पेशी सजीव त्यागी व अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, भीतर सीजेएम कोर्ट में आरोपियों से घुसला
- 3:00** बजे पेशी में बाहर आकर वाददात के बारे में की ब्रीफिंग
- 3:30** बजे मृतक शाहनवाज के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया
- 3:45** बजे तीनों हमलावरों को सीट टैम पुल्ताछ के लिए अज्ञात स्थान पर ले गयी



फरार जब्बार का फाइनल फोटो।

कोर्ट मोहर्रिर मनीष ने जान पर खेलकर बचाई कई की जान



घायल सिपाही मनीष।

बिजनौर। हमलावरों को दबोचने में अहम भूमिका कोर्ट मोहर्रिर मनीष के साथ तीन अन्य पुलिसकर्मियों की रही। मनीष ने जान पर खेलकर कई जान बचा लीं। एसपी संजीव त्यागी के मुताबिक चारों पुलिसकर्मियों के नाम गैलेन्ट्री अवॉर्ड के लिए भेजे जाएंगे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर

जब फायरिंग कर रहे थे तो कोर्ट मोहर्रिर मनीष ने एक आरोपी का मफलर पकड़ लिया और इससे बचने के लिए ही हमलावर ने मनीष पर गोली चलाई। मनीष के ठोड़ी में और पैर में गोली लगी। गंभीर घायल होने पर भी कांस्टेबिल मनीष ने हमलावर को नहीं छोड़ा। उधर कोर्ट में पैरोकार कांस्टेबिल विकास,

दिल्ली पुलिस के कांस्टेबिल विकास के साथ ही सीजेएम के गनर कांस्टेबिल रवि कुमार ने भी दिलेरी दिखाते हुए गोलीयाँ चला रहे तीनों युवकों को कब्जे में ले लिया। लोगों का मानना है, कि अगर उक्त चारों पुलिसकर्मी हिम्मत नहीं दिखाते तो वाददात को अंजाम देकर भागने के लिए गोलीयाँ का सहारा लेते।

मंगलवार के दिन ही लिया पिता की हत्या का बदला

बिजनौर | हमारे संवाददाता

इसे महज संयोग कहें या इत्तेफाक, लेकिन बसपा नेता हाजी अहसान और शाहनवाज दोनों के लिए मंगलवार का दिन अमंगलकारी रहा। इसी दिन बसपा नेता को शाहनवाज ने मारा था। वहीं बसपा नेता के बेटे के हाथों शाहनवाज भी कोर्ट रूम में मंगलवार के दिन ही मार गिराया गया।

28 मई दिन मंगलवार को बसपा नेता हाजी अहसान भांजे शादाब के साथ अपने कार्यालय में बैठे हुए थे। शाम के वक्त दो शूटरों ने कार्यालय में घुसकर गोली बरसा कर बसपा नेता और भांजे की हत्या कर दी गई थी। हत्या में दानिश पुत्र मोहम्मद सेवन निवासी उब्बनवाला को जून माह में ही नजीबाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं दानिश पुत्र इरफान निवासी कनकपुर का नाम भी बाद में सामने आया। दानिश कनकपुर को मुंबई से



मृतक शाहनवाज का फाइनल फोटो

अक्टूबर में दबोच लिया गया था। दोहरे हत्याकांड में बाकी दोनों आरोपी शाहनवाज निवासी कनकपुर और जब्बार निवासी जलालाबाद दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए थे।

बसपा नेता की हत्या के वक्त ही बेटे साहिल ने शाहनवाज को मारने की कसम खा ली थी। अब शाहनवाज भी कोर्ट रूम में मार गिराया। हत्या के बदले में हुई हत्या में एक संयोग रहा। वो है मंगलवार। मंगलवार का दिन बसपा नेता व शाहनवाज के लिए अमंगलकारी साबित हुआ। दोनों की हत्या मंगलवार के दिन ही हुई।

दिल्ली में पकड़े गए थे शाहनवाज और जब्बार

बिजनौर। बसपा नेता हाजी अहसान और उनके भांजे की हत्या के आरोपी शाहनवाज और जब्बार की गिरफ्तारी दो महीना पहले दिल्ली में हुई थी।

मंगलवार को दिल्ली पुलिस की कस्टडी में बिजनौर पेशी पर आए शाहनवाज अंसारी निवासी कनकपुर नजीबाबाद और जब्बार निवासी जलालाबाद नजीबाबाद को बिजनौर जजी के कोर्ट रूम में गोली बरसा कर हत्या कर दी गई। हत्या का मुख्य आरोपी बसपा नेता हाजी अहसान का बेटा साहिल रहा। 28 मई को हाजी अहसान और उनके भांजे शादाब की हत्या करने के बाद हत्यारोपी शाहनवाज फरार हो गया था।

बिजनौर पुलिस ने काफी तलाश किया पर हत्ये नहीं चढ़ा। बाद में 11 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कड़कड़हूमा कोर्ट के पास से गिरफ्तार कर लिए थे।

जिस समय सीजेएम कोर्ट में घटना को अंजाम दिया गया उस समय कोर्ट के अंदर करीब 12-15 वकील थे मौजूद

पहले से ही कोर्ट के अंदर ताक में बैठे थे हमलावर

बिजौर | हमारे संवाददाता

तीनों हमलावर पहले से ही कोर्ट के अंदर बैठे थे। मौत का मंजर देखने वाले वकीलों के मुताबिक शाहनवाज के कोर्ट के अंदर आने के बाद उन्होंने निशाना बनाते हुए गोलियां चला दीं।

जिस समय सीजेएम कोर्ट में गोलीयां बरसाकर वारदात को अंजाम दिया गया, उस समय कोर्ट के अंदर करीब 12-15 वकील मौजूद थे। कुछ वादकारी भी थे। सरसरी बहस चल रही थी। वारदात के बाद बाहर निकलकर आए अधिवक्ता विश्व भास्कर और रवि दाका ने बताया, कि तीनों ही आरोपी पहले से कोर्ट में ऐसे मौजूद थे जैसे किसी मामले की पैरवी पर आए हों। शाहनवाज पर जब उन्होंने तड़ातड़ गोलियां चलाई तो एक बार को कुछ समझ नहीं आया। भीतर कोर्ट मोहरीर मनीष और अन्य पुलिसकर्मी हमलावरों से जूझते भी नजर आए। यह सब कुछ एक नजर में ही दिखा। किसी एक हमलावर को तो उन्होंने दोनों हाथों में पिस्टल लेकर गोली चलाते भी देखा। शाहनवाज गिरते हुए दिखाई दिया और वह कोर्ट में मौजूद अन्य वकीलों के साथ ही भागकर बाहर आए और उस समय अपनी जान बचाने में ही गंभीरत समझी। आलम यह था, कि भीतर किसी को भी गोली लग सकती थी।

आरोपियों से एकांत स्थान पर पूछताछ

स्वॉट टीम तीनों आरोपियों को सीजेएम कोर्ट से अपने साथ अज्ञात स्थान पर पूछताछ के लिए ले गयी। प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली शहर आरसी शर्मा के अनुसार पकड़े गए आरोपियों में मृतक बसपा नेता हाजी अहसान का बेटा साहिल निवासी शीलकुंज बिजोनर, अफराज पुत्र अकरम निवासी राधगान, किरतपुर तथा सुमित पुत्र जयपाल निवासी लिलोनखेड़ी, शामिल बताए गए हैं।

10 से 11 गोली लगी शाहनवाज को

पुलिस सूत्रों के मुताबिक हाजी अहसान के बेटे साहिल समेत तीनों हमलावरों के मुख्य निशाने पर शाहनवाज ही था। उसे ही निशाना बनाकर गोलीयां बरसाई गई। उसे करीब 10 से 11 गोली लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई, हालांकि सही स्थिति पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट होगी।



बिजोनर में शाहनवाज की हत्या के बाद विलाप करती मृतक शाहनवाज की मां।

शाहनवाज का रहा है अपराधिक इतिहास

नजीबाबाद। बिजोनर सीजेएम न्यायालय में ताबड़तोड़ गोलीयां से मारा गया शाहनवाज मामूली अपराधी नहीं था। जरायम की दुनिया में आने से पहले उसने कई वारदातों को अंजाम दिया था। उत्तराखंड सहित नजीबाबाद थाना क्षेत्र में दर्ज डेढ़ दर्जन मुकदमे उसकी शांतिराना छवि पर मोहर लगाते हैं। प्रापर्टी डीलर व व्यापारियों से रंगदारी लेना उसकी आदत बन गई थी। शाहनवाज ने लगभग सात माह पूर्व 28 मई को दिनदहाड़े बसपा नेता अहसान खा और उसके भांजे मो शदाब की अपने भाड़े के शूटरों से हत्या करवा दी थी। पुलिस सूत्रों की माने तो शाहनवाज ने मामा भांजे की हत्या नजीबाबाद क्षेत्र में जरायम की दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करना था। हाजी अहसान की दूसरी पत्नी किरतपुर निवासी के पुत्र साहिल ने अपने दो साथियों के साथ सीजेएम कोर्ट में शाहनवाज को गोलीयां से भून दिया। जबकि शाहनवाज जरायम की दुनिया में बड़ा नाम बन चुका था। पुलिस रिकार्ड के अनुसार शाहनवाज पर उत्तराखण्ड, दिल्ली व उत्तर प्रदेश के कई थानों में संगीन अपराधों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस रिकार्ड के अनुसार लगभग दो दर्जन मुकदमे दर्ज हैं जिनमें अधिकांश लूट, चोरी, हत्या, रंगदारी, बलवा, आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर आदि सहित संगीन धाराओं के तहत हैं। शाहनवाज नजीबाबाद क्षेत्र का ऐसा अपराधी रहा है।

सुनियोजित तरीके से दिया घटना को अंजाम

जजी परिसर की दिनचर्या दोपहर पाँचे दो बजे तक सामान्य रूप से चल से चल रही थी, जैसे ही पाँचे दो बजे बजे तो तीन बदमाशों ने कोर्ट रुम में गोलीयां बरसा कर सनसनी और दहशत फैला दी। अंदर वकील भी मौजूद थे। किसी को भी इसका आभास नहीं था। प्रत्यक्षियों का कहना है कि तीनों बदमाश शाहनवाज एवं जम्हार के कोर्ट में पेश होने से पहले ही अंदर आ गए थे। कोई भी उनके खतनाक मंसूबे नहीं भाप सका। शाहनवाज व जम्हार की कोर्ट में यह दूसरी पेशी थी। हत्यारोपी साहिल अपने पिता के मर्डर के इन दोनों आरोपियों की हत्या के फिराक में था। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में गिरफ्तारी

के बाद बिजोनर पुलिस ने जब इन दोनों को रिमांड पर लिया तो तब भी फिराक में थे, पर बिजोनर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के कारण वह घटना को अंजाम देने में नाकाम रहे। साहिल ने पिता के हत्यारोपियों से बदला लेने शामली के लिलोन खेड़ी निवासी निवासी सुमित एवं किरतपुर निवासी निवासी अफराज को भी घटना को अंजाम देने के लिए अपने साथ मिला लिया। लिलोन निवासी सुमित का किरतपुर में आना जाना था। साहिल पिता की मौत का बदला लेने के लिए अवसर की तलाश में था। जब उसे कोई अवसर नहीं मिल तो उसने यह दुस्साहिक कदम उठाया।

प्रॉपर्टी के फेर में हो रही सिलसिलेवार हत्याएं

नजीबाबाद में प्रॉपर्टी का कारोबार जरायम की दुनिया से ताल्लुक रखता है। साल 2008 में प्रॉपर्टी विवाद के चलते पुरुषोत्तम तायल उर्फ जौली का अपहरण कर लिया गया था। जौली की हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया गया। इस हत्याकांड में डॉ. मनीष का नाम सामने आया। इस हत्या में नामजद डा. मनीष की 27 जनवरी 2011 को हत्या कर दी गई। इसके बाद कारोबारी डॉ. शमशाद को साल 2012 में मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद साल 2015 के जुलाई माह में पारस पब्लिक स्कूल के संस्थापक डा. आफताब को मार दिया गया। मजीदगंज में राशन डीलर मोहम्मद इमरान को हत्यारों ने घर में घुसकर गोली बरसाकर हत्या कर दी थी। वहीं प्रॉपर्टी विवाद के चलते ही बदमाश लोंडी का अपहरण करते हुए हत्या कर दी गई थी। वहीं मोहम्मद जफर को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। अब मई 2019 में प्रॉपर्टी डीलर और बसपा नेता हाजी अहसान और उनके भांजे शदाब को मार दिया था हत्या के बदले में शाहनवाज को कोर्ट रुम में गोली बरसाकर मार दिया गया।



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 23.05.2024

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में थाना धामपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा पॉक्सो अधिनियम के आरोपी अभियुक्त को दस वर्ष के कठोर कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि दिनांक 09.01.2020 को वादी द्वारा थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त रिजवान पुत्र रहूफ उर्फ गंगाराम निवासी ग्राम मौहडा थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहलाफुसलाकर ले गया है। इस संबंध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 13/20 धारा 366 भादवि बनाम रिजवान उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 376 भादवि व 04 पॉक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 23.05.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) द्वारा मु0अ0सं0 13/20 धारा 363/376 भादवि व 04 पॉक्सो अधिनियम से संबंधित अभियुक्त रिजवान पुत्र मौ0 रहूफ उर्फ गंगाराम निवासी ग्राम मौहडा थाना धामपुर जनपद बिजनौर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

1- रिजवान पुत्र मौ0 रहूफ उर्फ गंगाराम निवासी ग्राम मौहडा थाना धामपुर जनपद बिजनौर।



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 23.05.2024

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में थाना हीमपुर दीपा पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 323/342/34 भादवि में एक अभियुक्त को 01 वर्ष व धारा 323/342/506/34 भादवि में एक अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास व कुल 11,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि दिनांक 16.12.2015 को वादी द्वारा थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी कि अभियुक्त रामौतार शर्मा पुत्र सत्यप्रकाश शर्मा निवासी ग्राम केलनपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर के द्वारा वादी की पत्नी को जबरदस्ती गाड़ी में जाना तथा दुष्कर्म करने के संबंध में मु0अ0सं0 167/15 धारा 376/342/323/506 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त गोविन्द सिंह उर्फ भोविन सिंह निवासी ग्राम श्योराज सिंह निवासी घर रामबाग कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 23.05.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-IV, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 167/15 धारा 323/342/34 भादवि में अभियुक्त गोविन्द सिंह उर्फ भोविन सिंह पुत्र श्योराज सिंह निवासी घरबाग कालोनी थाना कोतावली शहर जनपद बिजनौर को 01 वर्ष का कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड व मु0अ0सं0 167/15 धारा 323/342/506/34 भादवि में अभियुक्त रामौतार शर्मा पुत्र सत्यप्रकाश शर्मा निवासी ग्राम केलनपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 07 वर्ष के कारावास व 09 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विकशन” के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

1- गोविन्द सिंह उर्फ भोविन सिंह पुत्र श्योराज सिंह निवासी घर रामबाग कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2- रामौतार शर्मा पुत्र सत्यप्रकाश शर्मा निवासी ग्राम केलनपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना कोतवाली देहात

दिनांक 23.05.2024

थाना कोतवाली देहात पुलिस ने वारंटी अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.05.2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्ता ममता उर्फ गुड्डो पत्नी अनिल कुमार वर्मा निवासी मौ० हिन्दू कॉलोनी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

ममता उर्फ गुड्डो पत्नी अनिल कुमार वर्मा निवासी मौ० हिन्दू कॉलोनी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० विजय कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
2. उ०नि० प्रशिक्षु समयपाल सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
3. उ०नि० प्रशिक्षु विनय कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
4. म०का० 2149 सोनम थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा

दिनांक – 23.05.2024

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 233/24 धारा 363/366/376 भादवि व धारा ३/४ पॉक्सो अधिनियम में वांछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 19.05.2024 को वादिनी द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 17.05.2024 को अभियुक्त (बाल अपचारी) वादिनी की पुत्री को बहला – फुसलाकर अपने साथ ले गया है। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 233/24 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत किया गया। दिनांक 20.05.2024 को स्थानीय पुलिस द्वारा अभियोग से सम्बंधित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 376 भादवि व ३/४ पॉक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 233/24 धारा 363/366/376 भादवि व धारा ३/४ पॉक्सो अधिनियम में वांछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार/अभिरक्षा में लिये गये बाल अपचारी का नाम व पता –

बाल अपचारी

बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री कृपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.हे0का0 360 बृजपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर